फर्द अहकाम
(नियम - 28)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

लाड कंवर बनाम बिरधुसिंह आदि

मुकदमा नम्बर ... आरसीए नं. 334 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].2018	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री मनीराम जाखड़ एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे।	

प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने तथा रहन के लिए आमादा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक **16.10.2018** तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर **863, 866, 867, 893 कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 हे.** अवस्थित ग्राम **दीपावास** तहसील नीमकाथाना जिला सीकर **के मौका की यथास्थिति बनाये रखें।**

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक **16.10.2018** को पेश हो।

~~उपखण्ड~~ अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

16/10/18 पत्रावली पेश हुई। [illegible] P.O. [illegible] कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पुर्व [illegible] दिनांक 28/11/18

28/11/18 पत्रावली पेश हुई। [illegible] P.O. [illegible] कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पुर्व कार्यवाही हेतु दिनांक 18/1/19 को पेश हो।